International Journal of Hindi Research
ISSN: 2455-2232
Impact Factor: RJIF 5.22
www.hindijournal.com
Volume 3; Issue 5; September 2017; Page No. 93-95

सम्पर्क–भाषा हिन्दी का आज और कल

[1] डॉ. सुषमा जादौन, [2] भारत सिंह लववंशी
[1] शोध निर्देशक, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भेल, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत।
[2] शोधार्थी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

हिन्दी भाषा हमारी सबसे बड़ी भाषा के रूप में प्राप्त हैं। ''संविधान में हिन्दी भाषा तीन रूपो में देखने को मिलती हैं।

1. संघ की राजभाषा के रूप में,
2. राज्यों राजभाषा के रूप में,
3. संघ और राज्यों की सम्पर्क–भाषा के रूप में, ''[1]

हिन्दी राज्यो की राजभाषा तो बन गई या बनाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन संघ की राजभाषा नहीं बन सकी ऐसा लगता है कि हिन्दी भाषा संघ की भाषा बनाना एक तरह से कागजी कार्यवाही बन कर रह गई हैं, इसके प्रति कोई प्रयास नहीं किये गये हैं। कारण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। केन्द्र सरकार की दो संयुक्त भाषाओं की नीति आजादी के समय ''1950 से लेकर 15 वर्षो तक जब तक कि अंग्रेजी को भी संघ कीद सह–राजभाषा माना गया है, हिन्दी या अंग्रेजी इस सम्पर्क–भाषा की भूमिका निभाएंगी और 15 वर्षो के बाद केवल हिन्दी ही रहेगी।''[2] अंग्रेजी भाषा को एक निश्चित समय के लिए ही अपनाया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ आज भी द्वि–भाषी नीति ही चल रही हैं। बाद में केन्द्र द्वारा एक संशोधित कानून पारित किया गया और उसमें अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए अपनाया जाना हैं। क्या माना जायेगा? यह स्पष्ट है कि महत्वपूर्ण दस्तावेज वर्तमान में दोनो भाषाओं में ही तैयार किये जाते हैं। हमारे देश के संसद में आज भी जो कार्यवाही जारी होती हैं। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि आज भी मंत्रालयो मे जो भी सलाहकार समितियॉ है वह हिन्दी अधिकारी हैं तथा हिन्दी की देख–रेख राजभाषा विभाग के द्वारा की जा रही हैं।

संतोष की बात यह है, हिन्दी भाषा पिछड़े नहीं इस लिए राजभाषा विभाग सतत् प्रयासरत हैं। ऐसा नहीं लगता हिन्दी, अंग्रेजी का स्थान प्राप्त करेगी। हिन्दी बढ़ती रही है और बढ़ती रहेगी, लेकिन हिन्दी को आज भी अंग्रेजी का दर्जा नहीं दिया जा रहा हैं। जब तक अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को स्थान नहीं दिया जायेगा जब तक हिन्दी देश की एक मात्र राजभाषा बन जाये, यह असम्भव हैं। हिन्दी को देश की राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए हमारे कानून में बदलाव करना आवश्यक हैं। सम्पर्क–भाषा का प्रश्न, तो सम्पर्क–भाषा में दोहरी नीति पाई जा रही हैं। अब सम्पर्क–भाषा में यह दोहरेपन की नीति चल नहीं पयेगी, और न ही चलाना चाहिए। हम देख रहे है कि हमारे यहॉ हिन्दी की कल्पना करे तो जो बदलाव आया यह कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। हम देखते है कि खेलो की कमेण्टरी पहले से ही हिन्दी में होती रही हैं। आज के समय में कम्प्यूटर हिन्दी में बनने लगे हैं। हिन्दी भाषा दुनिया की तीसरी भाषा बनकर उभरी हैं। हिन्दी की पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ने वालो की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ हैं। हींन्दी फिल्मो ने हिन्दी को विदेशो के कोने–कोने में पहुचाने का कार्य किया है, तथा हिन्दी को लोकप्रिय बना दिया हैं। किन्तु योजनाबद्ध प्रयत्नो से सम्पर्क–भाषा बनाने के लिए प्रयासो में और तेजी लाना जरूरी है, लेकिन गति राजनेतिक कारणों से शिथिल पढ़ती जा रहा हैं। विज्ञापनो के माध्यम से भी हिन्दी भाषा ने अपनी बुलंदी छूने का काम किया।

''हिन्दी में प्रायः मौलिक विज्ञापन लेखन के बजाय अंग्रेजी विज्ञापन के अनुवाद का कार्य अधिक होता रहा, अंग्रेजी में तैयार विज्ञापन को हिन्दी में प्रस्तुत किया जाता था।''[3] वर्तमान में विज्ञापनों की दुनिया है और हिन्दी की दम पर ही विज्ञापनों का महत्व रह गया हैं। हमरे देश में हिन्दी में विज्ञापन के बिना किसी कार्य को करना सम्भव ही नही माना जाता हैं। क्योंकि हिन्दी ही ऐसी सम्पर्क–भाषा हैं, जो प्रत्येक स्थान पर समझी जाती है।

मेरे अपने विचार से हिन्दी के प्रति प्रयास सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र से प्रारम्भ करने चाहिए। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के स्तर से यदि हम देश भर में नई पीढ़ी को अंग्रेजी के प्रति रूझान कम करके हिन्दी के प्रति लगाव हो जाये तो ऐसे प्रयास करते रहने चाहिए। ऐसे में समझलेना हिन्दी देश के सांथ–सांथ दुनिया में भी छांगई। द्वि–भाषी सूत्र का अर्थ यह था कि व्यक्ति अपनी वैद्यानिक भाषा हिन्दी को सीखे और अन्य भाषा से सम्पर्क में रहे ताकि हमारी हिन्दी को बुलन्दी तक ले जा सके न कि हिन्दी को छोड़कर अंग्रेजी को ही अपनाले। राजनीतिक कारणों से रास्ते में जो अटकले आई है, उनके कारण हिन्दी को बहुत बढ़ा नुकसान अठाना पढ़ा हैं। अंग्रेजी भाषा वही के वही बनी है, और हिन्दी बाहर हो चुकी हैं। लोग आज यह नहीं सोचते कि अंग्रेजी सदा के लिए हमारी हिन्दी को पीछे धक्का देती रहेगी। हिन्दी भाषी प्रदेश अंग्रेजी को छोड़कर अपने बच्चों को हिन्दी में ही शिक्षा दिलाये तो अन्य प्रदेशो या देशो में स्वतः ही हिन्दी का प्रभाव होगा तब हिन्दी को अपना वास्तविक हक प्राप्त होगा। ''यह खतरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कि जो केन्द्रीय विद्यालय है, जिनमें हिन्दी नाम मात्र हैं, अंग्रेजी ही चलन में हैं। लोगों में अंग्रेजी माध्यम के प्रति जो भावनाऍ बढ़ती जा रही हैं, वह हमारी हिन्दी भाषा के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण बात हैं।''[4] अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना ही लोग बच्चों का भविष्य समझ रहे हैं। हमारे यहॉ विदेशी संस्कृति मजबूत होती जा रही, और हमारी संस्कृति कमजोर पढ़ती ता रही हैं। इसका परिणाम यह होगा, हमारी हिन्दी भाषा का भविष्य खतरे में पढ़ जायेगा। अब सभी को अंग्रेजी के पीछे न भागकर हिन्दी को अपनाना होगा। हिन्दी आज दुनिया की तीसरे नम्बर की भाषा है, जिसका महत्व समझना होगा। तभी हमारी हिन्दी भाषा एक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त कर पायेगी। हम तभ अपनी भाषा को अपना वास्तविक हक प्राप्त करवा सकते हैं, और हमारी भाषा राष्ट्रभाषा बनने की पूर्ण अधिकारी हैं, जो अपना अधिकार प्राप्त कर सकती हैं।

''15 अगस्त, 1947 को महात्मॉ गॉधी ने बी.बी.सी. को एक इण्टरव्यू देते हुए कहा था– दुनियावालो से कह दो गॉधी अंग्रेजी नहीं जानता।''[5] इस बात से यह कहा जा सकता है देश का व्यक्तित्व अपनी मातृभाषा से ही बनता हैं। वर्तमान में कितनी ही भाषाएॅ भारत देश में प्रचलित है, लेकिन हिन्दी भाषा एक ऐसी भाषा है, जो सबसे अधिक उपयोग में लाई जानेवाली भाषा हैं। इसी हिन्दी भाषा को पूर्ण रूप से अपना कर अंग्रेजी का चलन कम किया जाये तो हिन्दी सहज ही राष्ट्रभाषा बन जायेगी। आज अंग्रेजी सम्पर्क–भाषा होने की जो भूमिका निभा रही हैं, जिसके दो कारण हैं– 1. कुछ प्रदेशो की सोच रही है, हिन्दी को ही हम अपनी सम्पर्क–भाषा क्यों माने? हमारी अपनी मातृ भाषा क्या कम हैं? 2. गत दो–तीन सदियों से विदेशी भाषा अंग्रेजी राज कर रही हैं। अंग्रेजी पढ़–पढ़ कर उन क्षेत्रों में पढ़े लिखे व्यक्तियों का अंग्रेजी से घना सम्पर्क और अधिकार हो गया है। इसलिए वह लोग अंग्रेजी को सरल और हिन्दी को सीखना कठिन मानने लगे हैं। ''नई पीढ़ी जिसे अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त कोई अन्य भाषा सम्पर्क–भाषा के रूप में सीखनी हैं, यह सीखने की सुविधा शायद न मिले। तब हिन्दी पढ़ लेने के बाद हिन्दी को स्वीकारना अधिक उचित जान पढ़े।''6 आज भी अंग्रेजी का चलन शिक्षित वर्ग में देखने को मिलता हैं। लेकिन पिछड़े क्षैत्रों एवं ग्रामीण अंचलों में अपनी–अपनी भाषाएॅ बोलते है, वहॉ अंग्रेजी का चलन नहीं होता हैं। आधे से अधिक देश में हिन्दी का चलन है। जब हिन्दी भाषी लोग वहॉ जायेगें और हिन्दी वहॉ बोलेगें तो स्वतः ही वहॉ हिन्दी सम्पर्क–भाषा बन जायेगी। अंग्रेजी और अन्य भाषाओं का चलन धीरे–धीरे कम होता चला जायेगा।

इस प्रकार हालत यह है कि हिन्दी आम जनता में, गांवो में और नई पीढ़ी की शिक्षा के माध्यम हिन्दी के रूप में तेजी से बड़ी हैं। किन्ही अहिन्दी भाषी क्षैत्र में हिन्दी उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाई हैं। प्रचार तो हुआ लेकिन हिन्दी अपना अधिकार जमा नहीं पाई। उच्च प्रशासको की झूंठी शान, बड़े–बड़े औद्योगिक संस्थान एवं बड़े–बड़े पब्लिक स्कूल। यहॉ पर अभि भी अंग्रेजी भाषा ही जमी हुई हैं, इनकी सोच बदलना आवश्यक हैं। यह समझते है कि हिन्दी के प्रयोग से हमारी शान में कमी होगी, यह शोच बदलने की आवश्यकता हैं। जबकी देखा जाये तो केन्द्रीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं का प्रवेश हिन्दी का पहला महत्वपूर्ण कदम हैं। जब हम पढ़ते या सुनते हैं, हिन्दी माध्यम के 5 उम्मीद्वार पहली परीक्षा में सफल हुए हैं, 20 उम्मीद्वार दूसरी परीक्षा में सफल हुए हैं। ऐसा सुन या पढ़कर बहुत अच्छा लगता हैं। अलग–अलग प्रान्तो की विधान सभाओं में कानून उनकी अपनी भाषाओं में बना है, लेकिन एकता के लिए अनुवाद के सांथ अंग्रेजी जुड़ी हैं। यदि अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी भाषा को लागू कर दिया जाये तो हिन्दी को अपना अधिकार मिल सकेगा, और अंग्रेजी भाषा का जो खतरा बना है, वह टूट जायेगा।

सम्पर्क–भाषा : हिन्दी विद्वानों के विचार

भाषा ही राष्ट्र साहित्य और संस्कृति का निर्माण करती है, आदर्शो की सृष्टि करती हैं। जब तक आपके पास राष्ट्रभाषा नहीं आपका कोई राष्ट्र भी नहीं।

–मुंशी प्रेमचंद

सरलता और शीघ्र सीखी जाने योग्य भाषाओं में हिन्दी सर्वोपरि हैं। राष्ट्र के एकीकरण के लिये सर्वमान्य भाषा से अधिक बलशाली और कोई तत्व नहीं। मेरे विचार से हिन्दी ही ऐसी भाषा हैं।

–लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक

यदि हम एक राष्ट्र होना चाहते हैं, संसार में अपना गौरव–मंडित पद ग्रहण करना चाहते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने में यथाशक्ति सहयोग करें।

–पं. बाबूराव विष्णु पराड़कर

हिन्दी भारत की एकता का प्रतीक है और इसका प्रचार एवं विकास करना हम सबका कर्तव्य हैं। हिन्दी की सफलता हिन्दी–भाषी क्षेत्रों में मिली सफलता पर नहीं अपितु अहिन्दी भाषी–क्षेत्रों में मिली सफलता पर निर्भर हैं। हम हिन्दी को समस्त देश में एक देश को समझने तथा विचार–विनिमय करने की भाषा सम्पर्क–भाषा बनाना चाहते हैं।

–म.क. छागला(18वीं शिक्षा समिति के अध्यक्षीय भाषण से)

हमारी जड़े जननी–जन्मभूमि की भाषा और संस्कृति में हैं। जड़ो के यथोचित सिंचन से हमारी अंतरनिहित शक्तियों का विकास होता है, आन्तरिक भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति उत्तेजित होती है, अपनी पहचान होती है, मानवता के दर्शन होते हैं। अपनी जन्मभूमि, भाषा और संस्कृति से कटा हुआ आदमी बौना पड़ जाता हैं। भाषा केवल ध्वनियों, अक्षरों और शब्दों का समूह मात्र नहीं बल्कि हमारे दिलों की धड़कन और प्राणों का स्पन्दन हैं। भाषा हमारा अभिमान है, आत्मसम्मान हैं।

–डॉ. बलराम जाखड़ (लोकसभा अध्यक्ष)

यह यथार्थता है कि हिन्दी के अलावा और कोई भाषा भारत की सम्पर्क–भाषा नहीं हो सकगी। यह यथार्थता इस मिट्टी में समाई हुई हैं। उसमें संदेह नहीं कि यह यथार्थता अंकुरित होगी और एक बड़ा वृक्ष बनकर पल्लवित–पुष्पित होगी। यदि हिन्दी को हमें जोड़ने वाली भाषा बनाना है तो सरकार को बहुत बड़ा दायित्व निभाना हैं। विविध भाषा–भाषी भारतीयों का आपसी सम्पर्क हिन्दी के माध्यम से ही हो सकता हैं। हिन्दी समझने वालों की संख्या बहुत अधिक हैं।

–देशिकोत्तम डॉ. जी. रामचन्द्रन गांधी ग्राम विश्वविद्यालय मदुरै के भू. कुलपति (दिनांक 19–02–1986 को केरल हिन्दी प्रचार सभा में दिए गए उद्घाटन भाषण से)

भविष्य में हिन्दी आने वाली चेतना की सांस्कृतिक भाषा होगी, ऐसा मेरा विश्वास हैं। अंग्रेजी में बौद्धिक सक्रियता और बौद्धिक आलोचना के तत्व है, पर सांस्कृतिक अर्थ में वह अंतर्राष्ट्रीय नहीं हैं। हिन्दी में जो ध्वनि संगीत है, जो शांति की सूक्ष्म झंकार परिव्याप्त है, जो पवित्रता है, वे बेजोड़ हैं। भावी मनुष्यत्व के तत्वों से हिन्दी परिपूर्ण होगी। भवष्यि में संस्कृति का जो नवीन संचरण होगा, उसे हिन्दी अपने में समाहित करेगी। आने वाले युग की संस्कृति में जिन गुणों का समावेश होगा, वे गंभीर, व्यापक और उच्च स्तर के होंगे। नवीन संस्कृति को व्याप्त करने के लिए भाषा झरने की तरह फूट निकलेगी, भाव उमड़–उमड़ कर आएॅगे। हिन्दी भाषा का सौन्दर्य ही कुछ विलक्षण हैं। मुझे विश्वास है कि एक दिन आयेगा जब हिन्दी विश्व की सांस्कृतिक भाषा होगी

–सुमित्रानन्दन पन्त

हिन्दी भारत की विभिन्न भाषाओं के साथ प्रत्येक हिन्दीतर राज्यों में सम्पर्क का सशक्त माध्यम होकर हमारी राष्ट्रीय संस्कृति का सार्थवाह हैं। गिलक्राइयट के पूर्व भी हिन्दी के दो रूपो का वर्णन किया गया है – शुद्ध हिन्दुस्तानी और मिश्रित हिन्दुस्तानी। मेरे मत

में मिश्रित हिन्दुस्तानी से तात्पर्य सम्पर्क–भाषा हिन्दी से ही था।

–कल्याणमल लोढ़ा
(भु. प्रोफेसर तथा अध्यक्ष कलकत्ता वि.वि. कलकत्ता)

सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक, व्यापारिक एवं साहित्यिक कारणों से हिन्दी भाषा का आंतर भाषा के रूप में विकसित हुई और उत्तरोत्तर समृद्ध होती चली गई और आज से पॉच–छह सताब्दियों से पूर्व उत्तर में बदरी विशाल से दक्षिण में रामेश्वरम् तक और अश्चिम में द्वारिका से पूर्व में कामाख्या तक सभी तीर्थ स्थानों और सांस्कृतिक केन्द्रों में यह भाषा बोली और समझी जाती हैं। बंगाल के वैष्णव भक्तों की ब्रजबुलि के नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, आदि सन्तों की हिन्दी बनी, पंजाब के सिख गुरूओं की हिन्दी पदावली, दक्षिण भारत की मुसलमानी रियासतो की दकिनी(दक्खिनी) और गुजरात के कवियों की हिन्दी रचनाएँ, हिन्दी की इस सार्वदेशिक व्याप्ति का प्रमाण हैं।

–डॉ. अम्बाशंकर नागर निदेशक,
हिन्दी गुजरात विद्यापीठ, अहमदागाद

हिन्दी भारत की राजभाषा है और उस देश में लोग सम्पर्क–भाषा के रूप में प्रतिष्ठित मानते हैं। भारतीय भाषाओं से परस्पर आदन–प्रदान का सार्वभौम माध्यम राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी हो सम्पर्क का मेरी दृष्टि में यही आशय हैं। देश के भीतर हिन्दी सम्पर्क–भाषा है किन्तु विश्व के मंच पर वह भारत के मूल व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति का माध्यम हैं। भारत की सभी भाषाएँ श्रीसंपन्न है और गुण–धर्म से मंडित हैं। हिन्दी देश के हृदय प्रदेश की भाषा है और अधिकाधिक जनों की वाणी। हिन्दी का जन्म ही सम्पर्क से हुआ है और उसके विकास की कहानी यौगिक रही हैं। जोड़ने का काम कठिन है यह कार्य हिन्दी सदा से करती रही हैं। अंग्रेजी अभी भी भारत के लिए सम्पर्क की भाषा नहीं थी और सदा से वह साम्राज्य विस्तार की भाषा के रूप में प्रयुक्त हुई। आज भी विश्व के रंगमंच पर अंग्रेजी सम्पर्क भाषा के रूप में कारगर तो है किन्तु वह हृदय में स्नेह, सदभाव तथा मानवीय मुल्यों की प्रतिष्ठा में अंकिचन रही हैं। हिन्दी संसार में 100 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है और संसार यह मानने लगा है कि भारत की पहचान हिन्दी के माध्यम से ही तत्वाभिनिवेषी रूप में हो सकती हैं। सम्पर्क–भाषा राजकाज में होना बड़ी बात है किन्तु उससे बड़ी बात यह है कि औरों का हृदय जीतकर सबके भीतर सामरस्य की प्रतिष्ठा। इसमें भी हिन्दी सफल हुई हैं। हिन्दी अन्य भारतीय भाषाओं के अभ्युदय में ही अपने विकास की सार्थकता मानती हैं इसलिए हिन्दी सारे देश की वाणी है तथा लोकमंगल और कल्याण उसका गुणधर्म हैं। अपने गुणधर्म और निष्ठा के कारण ही हिन्दी केवल राष्ट्रमंगल ही नहीं लोक मंगल बनने की शक्ति से मंडित हैं। मुझे विश्वास है कि दिनोंतर हिन्दी के माध्यम से राष्ट्र जो अनुष्ठान करेगा वह सफल, सुफल और मंगलमूलक होगा।

–सुधाकर पाण्डेय
(प्रधानमंत्री, नागरी प्रचारणी सभा नई दिल्ली)

आज हिन्दी केवल हिन्दी प्रदेश की भाषा न होकर पूरे देश की भाषा हो गई हैं। आज नहीं, शताब्दियों पहले ही हिन्दी एक अखिल भारतीय सम्पर्क माध्यम के रूप में विकसित हुई हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में तो हिन्दी भाषा ने पूरे देश को एकता के सूत्र में बॉधने की सशक्त कड़ी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हैं। हिन्दी साहित्य की समृद्धि में हिन्दी–भाषी साहित्यकारों के अलावा हिन्दीतर प्रदेशों के विभिन्न साहित्यकारों, लेखकों और राष्ट्रीय नेताओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया हैं। ठीक ही, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने यह परिकल्पना की है कि भारतीय सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति की वाहिका बनेगी।

–डॉ. मलिक मोहम्मद
(अध्यक्ष, तकनीकि तथा वैज्ञानिक शब्दावली आयोग, मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली)

सम्पर्क–भाषा के लिए शुभ संदेश प्राप्त करे। यदि सम्पर्क–भाषा एक और जन–जन के लिए राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय सिक्के का काम करती है, दूसरी ओर भाषाविशेषज्ञों के लिए भी चुनौति पेश करती है कि सम्पर्क–भाषा के नाम पर देश में किसी भी प्रकार का अलगाव न पनपने दें। 'सम्पर्क' का एक अर्थ 'मेल–जोल' और 'मिलाप' है तथा एक 'मिश्रण' हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो भाषा मेल–जोल कराए और विभिन्न भाषा–भाषियों का मिलाप कराए, वह सम्पर्क–भाषा हुई। सम्पर्क–भाषा में चारों और से आए हुए तत्वों का मिश्रण भी होना चाहिए। हिन्दी भाषा देश–विदेश की अनेकानेक भाषाओं में बहुत से शब्दों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए निरंतर आत्मसात करती जा रही हैं। सम्पर्क–भाषा किसी भाषा की विरोधी नहीं होती। सामान्यतया उसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वह स्वयं बन जाती है – ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिला सकने के कारण। उसका बहिष्कार करने वाले क्षेत्र उसके अभाव के कारण राष्ट्रीय धारा से अलग केवल अपने क्षेत्र में सीमित होकर रह जाते हैं। इसलिए सम्पर्क–भाषा का आदर करना अपने बड़े स्वार्थ की ही पूर्ती है –और राष्ट्रीय एकता में योग देना तो है ही।

–रमेशचन्द्र महरोत्रा
(भाषाविज्ञान–विभाग रविशंकर वि.वि. रायपुर)

हिन्दी की गति पवित्र गंगा के समान प्रवाहमान हैं। न शिव और शिवालिक उसे रोक पाये और न जम्मु जैसे समर्थ बुद्धिजीवी ऋषि उसे रोक पाये। वह आकाश से उतरी और जन–समुद्र में मिल गई। हिन्दी भी वन, प्रांतरों पहाड़ों और देश–विदेशों की सीमाओं को लांघती हुई एक दिन विश्व मंच पर स्थापित होगी और इसका सबसे बड़ा कारण होगा विश्व के मानवों की उसमें अवगाहन की उत्कृष्ट अभिलाषा और हिन्दी मन्दाकिनी का मानवता के समुद्र में अपने को विसर्जन करने का पुनीत लक्ष्य। मन्द–मन्द गति से लहरें लेती हुई हमारी हिन्दी–गंगा इस नये गंगा सागर की ओर हर्षपुलक से भरी हुई चली जा रही है और चली जा रही हैं।

–गोपाल प्रसाद व्यास

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. सम्पर्क भाषा हिन्दी –भोलानाथ तिवारी कमल सिंह पृ. सं. 101
2. सम्पर्क भाषा हिन्दी –भोलानाथ तिवारी कमल सिंह पृ. सं. 102
3. प्रयोजन मूलक हिन्दी –डॉ. राजनाथ भट्ट पृ. सं. 188
4. इंटरनेट
5. भाषा विज्ञान एवं हिन्दी भाषा –डॉ. मधुजैन पृ. सं. 212
6. हिन्दी भाषा और समसामयिकी –प्रो. धनंजय वर्मा पृ. सं. 62